सं0सं0–09 / आ०–07–21 / 2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के पत्रांक 1559 दिनांक– 11.04.2003 तथा सिविल सर्जन, समस्तीपुर के पत्रांक 1270 दिनांक– 15.05.2003 के द्वारा सूचित किया गया है कि डा० राम बाबू सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंधिया, समस्तीपुर के विरूद्ध अपने कार्य स्थल से लम्बी अवधि से गायब हैं, तथा कार्य के प्रति लापरवाह रहने के कारण विभागीय संकल्प संख्या–1298(9) दिनांक– 04.11.2010 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

(1) संचालन पदाधिकारी के समक्ष डा० राम बाबू सिन्हा, कभी भी विभागीय कार्यवाही के सुनवाई के क्रम में उपस्थित नहीं हुए और प्रेस विज्ञप्ति एवं निबंधित डाक के माध्यम से भी सूचित किया गया। आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी के विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित पाते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा अधिगम समर्पित किया गया।

(2) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की छाया प्रति देते हुए डा० राम बाबू सिन्हा, से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई तथा पुनः प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से तथा कई पत्रों के द्वारा उन्हें स्मारित किया गया। निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी का प्रत्युतर अप्राप्त रहा।

(4) संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर अप्राप्त रहने के कारण लम्बी अवधि से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपिस्थति के लिए "बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के आलोक में" डा० राम बाबू सिन्हा, के सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया तथा इस पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त की गई है।

अतः डा० राम बाबू सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंधिया, समस्तीपुर के लगातार पाँच वर्षो से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के तहत सेवा से बर्खास्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :– संकल्प की प्रति डा० राम बाबू सिन्हा एवं सभी संबंधितों को निबंधित डाक से भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

14.12.16

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 1351 (9) / स्वा0, पटना , दिनांकः 15/12/2016

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी समस्तीपुर / क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें दरभंगा प्रमंडल दरभंगा / सिविल सर्जन समस्तीपुर / संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा० राम बाबू सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंधिया, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय,बिहार, पटना / सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-- 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

14.12.16

सरकार के अवर सचिव